रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 1976/आश्विन 6, 1898

No. 324] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1976/ASVINA 6, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 1976

G.S.R. 823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby includes the following substance in the Schedule to the said Act, namely:—

"Methabenzthiazuron	1, 3-Dimethyl-3(2, benzothiozolyl)-Urea."

[No. 19-32/76-PPS]

P. S. KOHLI, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 823(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खंड (ङ) के उपखण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित करती है, अर्थात् —

"मैथाबेन्जोथियाज़ूरोन	1, 3-डाइमैथिल-3(2, बेन्जोथियोज़ोलिल)-यूरिया।"

[सं० 19-32/76-पी पी एस]

पी० एम० कोहली, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1976

IndiaCode